J.O./I.D. N0. UP 6311

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), जनपद कासगंज।

उपस्थित – आदित्य चतुर्वेदी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1721/2022

CNR NO.: UPKR01-004118-2022

आसिफ पुत्र तस्लीम, निवासी भारतीय स्टेट बैंक के पास, थाना अमॉपुर, जनपद कासगंज।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

एस0सी0संख्या– 826/2022
धारा– 363, 366 भारतीय दंड संहिता
11/ 12 पॉक्सो अधिनियम व
3 (2) V एस0सी0/एस0टी0एक्ट।
मुकदमा अपराध संख्या– 222/2022
थाना– पटियाली।
जनपद– कासगंज।

11—11—2022

1– अभियुक्त आसिफ पुत्र तस्लीम की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त का कथन है कि उसे गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के नामजद किया गया है, वह नितान्त निर्दोष है। सम्बन्धित थाना पटियाली पर वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराते समय यह अंकित नहीं कराया गया कि वादी मुकदमा लालाराम को जो कि पीड़िता का नाना है, उसे यह तथ्य कैसे ज्ञात हुआ कि पीडिता को अभियुक्त आसिफ ही बहला फुसलाकर ले गया है, क्योंकि वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर थाना पटियाली पर देते समय इस बात का कोई उल्लेख तहरीर में नहीं किया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया है। उक्त अपराध भी पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा 164 दंड प्रकिया संहिता अंकित कराते समय प्रार्थी को निर्दोष बताया गया है और स्वयं अपनी मर्जी से जाना बताया है। उक्त अपराध के वादी व उसकी पत्नी द्वारा विवेचक को जो बयान अंकित कराये गये हैं, वह मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अंकित कराये गये हैं, क्योंकि दोनों ही साक्षी इस घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं हैं। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा न ही पूर्व सजायाफता है। अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त आधारों पर जमानत प्रदत्त किये जाने की याचना की।

3– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का घ ोर विरोध करते हुए कहा गया कि वादी लालाराम द्वारा इस प्रकरण की प्राथमिकी अभियुक्त

आसिफ को नामजद करते हुए दिनॉक 02–09–2022 को समय 07:24 बजे इस कथन के साथ थाना पटियाली पर पंजीकृत करायी गयी कि उसकी धेवतिन जो दिनॉक 30–08–2022 को उसके पास पटियाली आयी थी, जो दिनॉक 01–09–2022 को कपड़ा फिटिंग कराने के लिए घर से पटियाली बाजार आयी थी। वहीं से कोई आसिफ पुत्र तसलीम उसे बहला फुसलाकर ले गया। उक्त आधारों पर रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध बाद विवेचना आरोपित अपराध में आरोपपत्र आ चुका है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की।

4– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी व पत्रावली का परिशीलन किया।

5– अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने मामले में वादी मुकदमा की नाबालिग धेवती को जब वह उसके पास आयी हुयी थी, तो कथित दिनॉक को पटियाली बाजार से अभियुक्त उसको विवाह करने के उद्देश्य से बहला फुसला कर भगा ले गया और उसका लैंगिक उत्पीडन अनुसूचित जाति का जानते हुए कारित किया। मामले की कथित पीड़िता अपने बयान 161 दंड प्रक्रिया संहिता में स्वयं को अनपढ़ बताते हुए वाल्मीकि जाति का होना बताती है, जिसे अपनी उम्र पता नहीं है। वह उक्त बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप अभियुक्त द्वारा निकाह हेतु बहला फुसलाकर बाजार से अपने घर ले जाना बताती है, किन्तु यदि हम उसके बयान 164 दंड प्रक्रिया संहिता का अवलोकन करें तो उक्त बयान में पीड़िता न्यायिक दण्डाधिकारी को अभियोजन कथानक से भिन्न बयान दे रही है। उसका बयान है कि वह कथित दिनॉक व समय पर घर से गुस्से में चली गयी थी, क्योंकि घरवाले गाली गलौज करते थे, इसलिए वह तंग हो गयी थी। वह चलते चलते पता नहीं कहॉ चली गयी, फिर उसे एक लड़का मिला, उसने उससे पूछा कहॉ से आयी हो। तो पीड़िता ने कहा कि वह अपने ननिहाल पटियाली में आयी है। तब वह लड़का पीड़िता को उसकी नानी के घर पटियाली छोड़ने आया, जिसे उसके घरवालों ने गलत समझकर जेल में बन्द करवा दिया है। वह उस लड़के को पहले से नहीं जानती, उस लड़के ने बस उसका मदद की थी। लड़के ने कहा था कि गॉव मुझे मालूम है, घर तुम बता देना। वह मुझे घर तक छोड़ने आया था। विवेचक ने भी न्यायालय को भेजे अपने कमैण्टस में यह कहा है कि मामले की पीड़िता अपने आप ही भागकर ननिहाल आ गयी थी। इस प्रकार यद्यपि बयान 161 दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त को मामले में आलिप्त करते हैं, किन्तु पीड़िता का बयान 164 दंड प्रक्रिया संहिता पूर्णरूपेण अभियुक्त की संलिप्तता से इन्कार करते हुए, उसको सद्भावी दर्शित करता है। केसडायरी के अवलोकन से यह भी तथ्य सम्प्रेषित हुआ कि मामले की पुलिस ने अत्यन्त तीव्रता से सन्देहकारी परिस्थितियों में विवेचना की कार्यवाही को सम्पादित किया है। मामले में कोई विशिष्ट लैंगिक उत्पीडन का कृत्य उल्लिखित नहीं है, अभियुक्त दिनॉक 02–09–2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है, उसका कोई आपराधिक इतिहास पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सम्पूर्ण विवेचन से प्रस्तुत केस की परिस्थितियों में अभियुक्त का केस जमानत के योग्य है। तद्नुसार प्रथम जमानत आवेदन निम्नवत् स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6— प्रार्थी/अभियुक्त **आसिफ पुत्र तस्लीम** की ओर से एस0सी0संख्या— 826/2022, मु0अ0सं0— 222/2022, धारा—363, 366 भा0दं0सं0 व धारा— 11/12 पॉक्सो एक्ट एवं 3 (2) V एस0सी0/एस0टी0एक्ट, थाना पटियाली, जनपद कासगंज के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000/—रुपये (पचास हजार रूपये)** के दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
कासगंज।

दिनॉक—11—11—2022